निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 कार्तिक 1941 (श0)
(सं0 पटना 1262) पटना, शुक्रवार, 15 नवम्बर 2019

परिवहन विभाग

अधिसूचना
15 नवम्बर 2019

सं० 2/टैक्स (टैक्टर–ट्रेलर सर्वक्षमा)–42/2012 परि०–8373––बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–7 की उप–धारा (7) सहपठित धारा–15 की उप–धारा (1) एवं धारा–23 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा कर–प्रमादी निबंधित एवं अनिबंधित कृषि/व्यवसायिक कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर–ट्रेलर तथा व्यावसायिक एवं मालवाहक वाहन स्वामियों को सर्वक्षमा (Amnesty) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से 90 दिनों तक के लिए प्रदान किया जाता है :–

(i) अधिसूचना निर्गमन की तिथि तक कर–प्रमादी निबंधित एवं अनिबंधित ट्रैक्टर–ट्रेलर, जो कृषि/व्यावसायिक कार्यो में प्रयुक्त हो, को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर की अवधि में एकमुश्त कर 25,000/– (पच्चीस हजार) रू0 जमा करने पर, उस वाहन पर देय कर/अर्थदण्ड, जो भी होगा, की सर्वक्षमा दी जायेगी और उस वाहन को निबंधित/विनियमित कर दिया जायेगा एवं यदि उपरोक्त पर निलामपत्र–वाद दायर हो तो उसे विभाग द्वारा वापस ले लिया जायेगा;

(ii) अन्य सभी प्रकार के निबंधित व्यावसायिक/मालवाहक वाहन, जो अधिसूचना की निर्गमन की तिथि से 01 वर्ष तक के कर–प्रमादी हैं, को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर की अवधि में, बकाया कर (देय कर) के अतिरिक्त 30% अर्थदण्ड जमा करने पर, उस वाहन पर देय अर्थदण्ड, जो भी होगा, की सर्वक्षमा दी जायेगी और उस वाहन को निबंधित एवं विनियमित कर दिया जायेगा एवं यदि उपरोक्त पर नीलामपत्र–वाद दायर हो तो उसे विभाग द्वारा वापस ले लिया जायेगा;

(iii) अन्य सभी प्रकार के निबंधित व्यावसायिक/मालवाहक वाहन, जो अधिसूचना की निर्गमन की तिथि से 01 वर्ष से अधिक समय से कर–प्रमादी हैं, को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर की अवधि में, बकाया कर (देय कर) के अतिरिक्त 50% अर्थदण्ड जमा करने पर, उस वाहन पर देय अर्थदण्ड, जो भी होगा, की सर्वक्षमा दी जायेगी और उस वाहन को निबंधित/विनियमित कर दिया जायेगा एवं यदि उपरोक्त पर नीलामपत्र–वाद दायर हो तो उसे विभाग द्वारा वापस ले लिया जायेगा;

(iv) इस सर्वक्षमा योजना का लाभ नीलामपत्र–वाद के बकायेदार वाहन स्वामी को भी दिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

The 15th November 2019

No.02/Tax(Tractor-trailer amnesty)-42/2012-8373--In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section-7 read with sub-section (1) of section-15 and provisio of section-23 of the Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994, the State Government hereby grants amnesty to the vehicle owners of tax defaulter registered and unregistered Tractor-trailer, which are used in agricultural/commercial activities and Commercial and Goods carriage vehicle will be given amnesty with effect from the date of publication of this notification in Bihar Gazette for 90 days, subject to the following conditions :-

(i) Tax defaulter registered and unregistered tractor-trailer, which are used in agricultural/commercial activities, on deposit of lumpsum Amount Rs.25,000 within the period of 90 days with effect from the date of publication of this notification in Bihar Gazette, amnesty of payable tax/penalty, whichever will be on such vehicles,will be given and such vehicles will be registerd/ regulated and if there would be any certificate case on the said vehicles, it would be withdrawn by the department;

(ii) All other types of registerd commercial and goods carriage vehicles, which is tax defaulter upto one year on the date of publication of this notification in Bihar Gazette, shall be given amnesty of all kinds of penalty and will be registerd and regulated and the certificate case thereon shall be withdrawn, on deposit of payable tax with 30% penalty within the period of 90 days from the date of publication of this notification.

(iii) All other types of registerd commercial and goods carriage vehicles, which is tax defaulter for the period of more than one year on the date of publication of this notification in Bihar Gazette, shall be given amnesty of all kinds of penalty and will be registerd and regulated and the certificate case thereon shall be withdrawn, on deposit of payable tax with 50% penalty within the period of 90 days from the date of publication of this notification.

(iv) The benifits of this amnesty scheme shall be extended to the defaulter of certificates case.

By order of the Governor of Bihar,
Sanjay kumar Agarwal,
Secretary to the Goverment.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1262-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in